न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 26/2020
अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनीष कुमार पिसरान श्री महेन्द्रपाल जाति जाट उम्र 26 वर्ष साकिन 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जितेश चौधरी पिसरान श्री महेन्द्रपाल जाति जाट उम्र 21 वर्ष साकिन 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ....**वादीगण**

ब ना म

1. महेन्द्रपाल सिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ...**प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

उपस्थित–	श्री मनोहरलाल सहारण	(वादीगण 1–2)
	श्री मनु भाटीवाल	(प्रतिवादी 1)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 2)

दिनांक 25.03.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल सिंह वादीगण 1 ता 2 का पिता है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 एफ छोटी पत्थर नं0 0 मुरब्बा नं0 21 के किला नं0 3/2 में 0.2400 है0 नहरी किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम नहरी कुल 3.7820 है0 नहरी मुरब्बा नु0 22 किला नं0 1/1 में 0.2280 है0 नहरी किला नं0 1/2 में 0.0250 है0 खाला किला नं0 10, 11, 20, 21, सालम कुल 1.2650 है0 नहरी मय खाला कुल कुल दोनों मुरब्बा में 5.0470 है0 नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजुदा जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 शामिल वाद पत्र है। उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुआ है। जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसको वह पाने के अधिकारी है। नकल जमाबन्दी व नकल इंतकाल संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रकबा संयुक्त परिवार संयुक्त अविभाजित सम्पति है। प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता होने की हैसियत से उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने संयुक्त परिवार में अपने प्रेम भाव को कायम रखते हुए हक व हिस्सानुसार आज से 1 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलू बंटवारानुसार उपरोक्त समस्त रकबा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/3–1/3 हिस्सा रकबा हिस्सा में आया था जिस पर वह काबिज है व बिना किसी विघन के अपने हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में व पानी की भराई सिंचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती है तथा सरकारी अनुदान व बैंक ऋण सुविधा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इस कारण हक व हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी हैं। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से कहा कि घरू बंटवारानुसार हक व हिस्सानुसार उपरोक्त रकब में हम दोनों भाईयों को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि हक व हिस्सानुसार रकबा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जावे। पहले तो वह आजकल–आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि मैं तो इस घरू बंटवारा को नहीं

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मानता और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के ब्यान करता हूं और ना ही रकबा तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाता हूं तुम्हें जो करना है सो करो बस यही विवाद दावा जो वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रतिवादीगण को इस बात का ईल्म होने पर कि वादीगण अपने हक व हिस्सानुसार रकबा की मांग कर रहे है तो उसके मन में बदयान्ति आ गयी है और वह रकबा को रहन बैय करने की फिराक में है अगर वह अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वादीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जावेगे व आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है कि वह दौराने दावा रकबा को रहन बैय नहीं करें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। राजस्थान भूमि की मालिक है आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) वादीगण चक 2 एफ छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/51 में दर्ज 5.0470 हैक्टे0 रकबा में 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिंनाक 03.09.2020 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए हस्ताक्षर अंकित किये गये। वादीगण की शिनाख्त वादीगण अधिवक्ता श्री मनोहरलाल सहारण एंव प्रतिवादी सं0 1 की शिनाख्त प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री मनु भाटीवाल द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

पक्षकारान के हिस्सा में 2/3 हिस्सा आया है व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में 1/3 हिस्सा आया है। इसी अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपने रकबा का उपयोग व उपभोग कर रहे है। अतः यह राजीनाम पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक 27.10.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या– 1,2,4,5,6,7,8 को सिद्व करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 03 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 09,10 कानूनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यो के हिस्से तक ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः नामांतरण संख्या 09 दिनांक 10.01.2021, चक 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जी जी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत 2070–2073, चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18 जी जी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत 2066–2069, चक 2 एफ छोटी पटवार क्षेत्र 18 जीजी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत 2046–2049 का अवलोकन किया गया। अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 मनीष कुमार पुत्र श्री महेन्द्रपाल एवं वादी संख्या 2 जितेश चौधरी पुत्र श्री महेन्द्रपाल को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.09.2020 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 2 एफ छोटी के खाता संख्या 69/51 के पत्थर नं. 0 मुरब्बा नं0 21 के किला नं0 3/2 में 0.2400 है0 नहरी किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम नहरी कुल 3.7820 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 1/1 में 0.2280 है0 नहरी किला नं0 1/2 में 0.0250 है0 खाला किला नं0 10, 11, 20, 21, सालम कुल 1.2650 है0 नहरी मय खाला कुल दोनों मुरब्बों की 5.0470 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण मनीष कुमार एवं जितेश चौधरी पुत्र श्री महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी 1 जी छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर को 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.03.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 026/2020

अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनीष कुमार पिसरान श्री महेन्द्रपाल जाति जाट उम्र 26 वर्ष साकिन 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जितेश चौधरी पिसरान श्री महेन्द्रपाल जाति जाट उम्र 21 वर्ष साकिन 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादीगण

ब ना म

1. महेन्द्रपाल सिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री मनोहरलाल सहारण	(वादीगण 1–2)
	श्री मनु भाटीवाल	(प्रतिवादी 1)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 2)

दिनांक 26.03.2021

वादपत्र संख्या 026/2020

अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री मनोहरलाल सहारण व प्रतिवादीगण संख्या 1 अधिवक्ता श्री मनु भाटीवाल पैरोकार राज प्रतिवादी–2 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 2 एफ छोटी के खाता संख्या 69/51 के पत्थर नं. 0 मुरब्बा नं0 21 के किला नं0 3/2 में 0.2400 है0 नहरी किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम नहरी कुल 3.7820 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 1/1 में 0.2280 है0 नहरी किला नं0 1/2 में 0.0250 है0 खाला किला नं0 10, 11, 20, 21, सालम कुल 1.2650 है0 नहरी मय खाला कुल दोनों मुरब्बों की 5.0470 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण मनीष कुमार एवं जितेश चौधरी पुत्र श्री महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी 1 जी छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर को 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 मार्च, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू

(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner